पत्रांक :–3 / यो.1–23 / 2021(उ0शि0) 208 / बजट

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

आंतरिक वित्तीय सलाहकार से परामर्शित

प्रेषक,

राहुल कुमार पुरवार,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
पो0–हिनू, झारखण्ड, रॉची।

रॉची, दिनांक 05/01/2026

विषयः– वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य स्कीम अंतर्गत बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद अंतर्गत बोकारो महिला महाविद्यालय, बोकारो (स्थायी संबद्धता प्राप्त महाविद्यालय) में अध्ययनरत छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा हेतु रू0 48,45,600 / – (अड़तालीस लाख पैतालीस हजार छः सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग :– बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद के पत्रांक 1519/2025 दिनांक 25.08.2025

आदेश– स्वीकृत ।

वर्तमान में झारखण्ड का सकल नामांकन अनुपात 18.6 है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 28.4 है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राज्य का सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु आवश्यक है कि छात्राओं के नामांकन दर में अपेक्षित वृद्धि दर्ज की जाय। राज्य सरकार इस दिशा में सतत प्रयत्नशील है।

2. छात्राओं को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि उन्हें शिक्षा के उचित अवसर प्रदान किये जाए तथा अभिभावकों पर उनकी शिक्षा के व्यय को कम किया जाय। इसलिए राज्य सरकार ने संकल्प संख्या–313 दिनांक 30.03.2006 के द्वारा निर्णय लिया है कि छात्राओं को स्नातकोत्तर तक की शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जाय।

3. इस हेतु स्नातकोत्तर स्तर तक छात्राओं के शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा एतद् हेतु स्वीकृत वार्षिक बजट उपबंध की सीमा तक की जाती है। शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवार की छात्राओं को विशेष प्राथमिकता दी जायेगी।

4. वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य स्कीम बजट के अन्तर्गत उपशीर्ष–BS- निःशुल्क एवं दूरस्थ शिक्षा, कोचिंग सेन्टर, कार्यशाला, कन्सलेंसी, द्वितीय पाली कक्षा नैक अनुसंधान, परिमार्जन केन्द्र एवं वित्त रहित संस्थानों को अनुदान, लघुशीर्ष–102–विश्वविद्यालयों को सहायता मद में 65.00 करोड़ (पैसठ करोड़ रूपये) मात्र एवं लघुशीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, मद में 30.00 करोड़ (तीस करोड़ रूपये) मात्र अर्थात कुल रू0 95.00 करोड़ का बजट उपबंध प्राप्त है।

5. वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य स्कीम अंतर्गत बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद अंतर्गत बोकारो महिला महाविद्यालय, बोकारो (स्थायी संबद्धता प्राप्त महाविद्यालय) में अध्ययनरत छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा हेतु रू0 48,45,600 / – (अड़तालीस लाख पैतालीस हजार छः सौ) मात्र की निकासी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

6. उपर्युक्त स्वीकृत राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2025–26 के राज्य स्कीम के निम्नांकित शीर्ष–"मुख्यशीर्ष–2202 सामान्य शिक्षा, 03–विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा, लघु शीर्ष–102–विश्वविद्यालयों को सहायता, उप शीर्ष– BS- निःशुल्क एवं दूरस्थ शिक्षा, कोचिंग सेन्टर, कार्यशाला, कन्सलेंसी, द्वितीय पाली कक्षा नैक अनुसंधान, परिमार्जन केन्द्र एवं वित्त रहित संस्थानों को अनुदान, 01– निःशुल्क एवं दूरस्थ शिक्षा, कोचिंग सेन्टर, कार्यशाला, कन्सलेंसी, द्वितीय पाली कक्षा नैक अनुसंधान, परिमार्जन केन्द्र एवं वित्त रहित संस्थानों हेतु सहायता अनुदान, विस्तृत शीर्ष–06 अनुदान,79–सहायता अनुदान सामान्य (गैर–वेतन) (विपत्र कोड– 21S220203102BS010679) (स्कीम कोड–2107) के अंतर्गत होगा।

7. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या–1269 दिनांक–21.09.2023 के आलोक में यह स्वीकृत्यादेश प्रदत्त शक्ति के अधीन है।

8. इस मद में विगत वित्तीय वर्ष के पूर्व वर्ष में निकासी की गयी राशि की विवरणी–

स्वीकृत्यादेश संख्या एव तिथि	निकासी की गई राशि	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि
148 / बजट दिनांक 23.08.2024	53,68,500 / –	53,68,500 / –

9. वित विभाग के संकल्प ज्ञापांक 759 दिनांक 20.03.2015 के अनुसार राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

10. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव (उच्च शिक्षा), उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,झारखण्ड, रॉंची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉंची से राशि की निकासी कर Book Transfer, बैंक ड्राफ्ट अथवा योजना–सह–वित्त विभाग द्वारा निर्गत किये गये प्रासंगिक आदेश में विहित माध्यम द्वारा बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद के कुलसचिव को राशि उपलब्ध करायेंगे एवं कुलसचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए संचालित पी0 एल0 खाता संख्या–8448 में जमा करायेंगे।

11. बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद के कुलसचिव द्वारा वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता–2016 के नियम– 339–344 के तहत पी0 एल0 खाता संख्या–8448 से राशि की निकासी कर संबंधित महाविद्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

14. योजना की स्वीकृति बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद के पत्रांक 1519 दिनांक 25.08.2025 द्वारा सत्र 2024–25 के लिए समर्पित अधियाचना के आलोक में की गयी है। स्वीकृत राशि के नियमानुसार भुगतान की जिम्मेवारी संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य की होगी। विश्वविद्यालय अपने स्तर से जॉचोपरान्त संतुष्ट होने के उपरान्त संबंधित महाविद्यालय को भुगतान हेतु राशि उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

12. स्वीकृत योजना के विरूद्ध प्राप्त अधियाचना के आलोक में राशि की विमुक्ति की जायेगी।

13. राशि की विमुक्ति निम्न शर्त्तों के अधीन की जायेगीः–

a) विमुक्त राशि का विचलन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जोयगा।
b) झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम–343 का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

14. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

15. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण / वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

16. प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

17. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

18. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु तैयार विपत्र पर निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

5.1.26
(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–3 / यो.1–23 / 2021(उ0शि0) 208/खच्ष्ट / रॉंची, दिनांक– 05/01/2026

प्रतिलिपि –कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉंची / कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, धनबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5.1.26
(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– 3 / यो.1–23 / 2021(उ0शि0) 208/खच्ष्ट / रॉंची, दिनांक– 05/01/2026

प्रतिलिपि – विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव / निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव / कुलसचिव, बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद / अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा) / लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित तथा नोडल पदाधिकारी को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5.1.26
(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के प्रधान सचिव।

(राम सूचित कुमार) प्रशाखा पदाधिकारी	(सुधीर कुमार) अवर सचिव	(सुधीर बाड़ा) निदेशक, उच्च शिक्षा